कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

प्रशासनिक आदेश (एडवाइजरी) संख्या 109/2020

सर्व जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 426/इन्फ्रा. सेल. इलाहाबाद मार्च 21, 2020 में इस आशय का उल्लेख है कि कोविड–19 (नावेल कोरोना वायरस) के खतरे का सामना करने के लिए निरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपाय लिये जाने हेतु गठित माननीय समिति ने बैठक दिनांकित 21.03.2020 में यह प्रस्तावित किया है कि **"all the Courts subordinate to High Court of Judicature at Allahabad and all Commercial Courts, Motor Accident Claims Tribunals and Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authorities across the State of U.P. shall also remain closed till 28.03.2020. However as regards cases of utmost importance/ urgency, the District Judge shall decide as to whether urgency exists or not and to take action as per convenience. Remands and bails of the arrested person shall be done as per holidays practice. In lieu of the closure of the Courts during above mentioned period, all of the above Courts/Authorities/ Tribunals shall be working in coming summer vacation accordingly."**

तथा माननीय समिति ने यह भी प्रस्तावित किया है कि–

"all the District Judges/Presiding Officers of all Commercial Courts, Motor Accident Claims Tribunals and Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authorities across the State of U.P. are directed to issue necessary advisories to all of their subordinate staff to avoid attending mass gathering and extensive travel through public transport during this period and to adhere to all other advisories/guidelines/directions issued by the Union/State Government in order to combat the impending threat of COVID-19".

माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय समिति के उक्त आदेश/प्रस्ताव का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु यह आदेश/एडवाइजरी निर्गत/पारित किया जाता है कि–

01. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के सभी न्यायालय दिनांक 28.03.2020 तक बन्द रहेंगे, यद्यपि अत्यन्त महत्व/त्वरित प्रकृति के मामलों के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी जनपद न्यायाधीश द्वारा यह तय किया जायेगा कि वह मामला त्वरित प्रकृति का है या नहीं और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

02. गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के रिमाण्ड जमानत सम्बन्धी कार्य उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि अवकाश के दिनों में किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में व्यवस्था किये जाने हेतु अविलम्ब आदेश पारित करें।

03. उपरोक्तानुसार दिनांक 28.03.2020 तक की अवधि में न्यायालय उपरोक्तानुसार बन्द किये जाने के प्रतिकर में न्यायालयों द्वारा ग्रीष्मावकाश में कार्य किया जायेगा।

04. जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में कार्यरत समस्त अधीनस्थ कर्मचारीगण दिनांक 28.03.2020 तक की उपरोक्त अवधि में समूह में एकत्रित होने व जन–परिवहन के माध्यम से लम्बी यात्रा करने से बचें एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के खतरे का सामना करने हेतु जारी की जा रही सलाहों/मार्ग–दर्शनों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन करें।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पत्र, माननीय समिति के उक्त प्रस्ताव एवं इस आदेश (एडवाइजरी) का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु इस आदेश (एडवाइजरी) को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारीगण/अधिकारीगण के मध्य परिचालित किया जाय तथा इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।

21-3-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

दिनांकः मार्च 21, 2020 ई0

संख्याः 490 /प्रथम **दिनांकितः मार्च 21, 2020**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

01. जिलाधिकारी, आजमगढ़
02. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़
03. अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़
04. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ को इस आशय से की वे इससे स्वयं अवगत होकर इस बार एसोसियेशन के अन्य सदस्यगण को अवगत कराने का कष्ट करें
05. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित की इस सूचना को ऐसे समाचार पत्रों में प्रकाशन करायें जिनका इस जनपद में सर्कुलेशन में हो।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।